फाइल नं0-71-2099/789/2021-03

42/2024/I/519166/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 14 मार्च, 2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/621, दिनांक 09.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 727.95 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 727.95 लाख (रू0 सात करोड़ सत्ताइस लाख पंचानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,27,95,000 (रुपये सात करोड़ सत्ताईस लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखाशीर्षक 42100310582 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी फिरोजाबाद।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।